

(d) whether it is also a fact that even after the judgement in a number of cases the wards of such retired Government employees who were allotted quarters from special/separate pools, have not been allotted quarters from General Pool though they were in service prior to the retirement of their parents and were entitled for allotment of general pool accommodation; and

(e) if so, what are the reasons for the victimisation of such employees?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARRAN): (a) Yes, Sir.

(b) In identical judgements, the Addl. Distt. & Sessions Judge had set aside eviction orders in two cases where the wards of retired allottees of Government Accommodation were not eligible for General Pool Accommodation and thus not entitled to regularisation/alternative allotment of General Pool accommodation. The judgement of the Addl. Distt. Judge was upheld by the Delhi High Court.

(c) and (d) The Government is appealing to the Supreme Court.

(e) Question of victimisation of employees does not arise.

**अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के अभिभावकों की आयु सीमा का बढ़ाया जाना**

2283. श्री सुशील बरौंगपा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने की पात्रता के मापदण्ड के मामले में पूर्व सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का पूर्णविलोकन करते हुए ऐसे छात्रों के अभिभावकों की आयु सीमा को बढ़ाने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

श्री और कल्याण मंत्री (श्री रामदिल्लाल पासवान) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को केन्द्रीय प्रयोजित योजना के अन्तर्गत मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए आयु सीमा, रख-रखाव भत्ता आदि का संशोधन किया गया है और 1-7-89 से लागू किया गया है। वर्तमान में इस संबंध में और आगे संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

**जनजातीय इलाकों में शराब की व्यापारिक विक्रय को रोकना जाना**

2284. श्री सुशील बरौंगपा : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार ने मिल बैठकर यह निर्णय ले लिया है कि जनजातीय इलाकों में शराब के व्यापारिक विक्रय को रोकना जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उन विशेष केन्द्रों को बन्द करने के लिए कोई अंतिम तारीख निश्चित की जा रही है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारें और केन्द्रीय सरकार इन जनजातीय इलाकों में बिना लाइसेंस शराब के उत्पादन और विक्री की अनुमति गरीब जनजातीय लोगों को देने जा रही है ?

श्री और कल्याण मंत्री (श्री रामदिल्लाल पासवान) : (क) से (ग) राज्य सरकारों को सितम्बर, 1981 में तीन निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किये गए थे :—

(1) आदिवासी क्षेत्रों में शराब की व्यापारिक विक्रय को समाप्त करना चाहिए।

(2) अनुसूचित जनजातियों की घर में और धार्मिक तथा अन्य अवसरों पर उपयोग करने के लिए उनकी परम्परागत शराब बनाने की अनुमति दी जाए।